संख्या:128/2026/543पू0वि0नि0(1)/35-1-2026/35-1099/13/2025

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोण्डा।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ; दिनांक: 31 जुलाई, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल) निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-36/2026/300पू0वि0नि0/35-1-2026/35-1099/13/2025 दिनांक 30 मार्च, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल) निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत जनपद-गोण्डा में 10 कार्यों की रू. 1361.64 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू.544.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इन कार्यों की कार्यदायी संस्था उक्त शासनादेश की तालिका में उनके नाम के सम्मुख इंगित है।

2- आपके पत्र संख्या-478/पूर्वा0वि0नि0(राज्यांश)/का0 सं0 परिवर्तन/2026-27 दिनांक 27.07.2026 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-36/2026/300पू0वि0नि0/35-1-2026/35-1099/13/2025 दिनांक 30 मार्च, 2026 की तालिका के क्रमांक-6 पर अंकित कार्य मऊ समसाबाद अचल नगर मार्ग से पेड़ारेगढ़वा, सोनवरसा, अहलादनगर, लोनपुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 2620 मी0, लागत रू 192.16 लाख) की कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के स्थान पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को नामित किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या-36/2026/300पू0वि0नि0/35-1-2026/35-1099/13/2025 दिनांक 30 मार्च, 2026 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या:128/2026/543पू0वि0नि0(1)/35-1-2026/35-1099/13/2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- मण्डलायुक्त, देवापाटन मंडल।
8- मुख्य अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोण्डा।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, वाराणसी।
15- सम्बंधित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा।
16- सम्बंधित अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, वाराणसी।
17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।